जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

रमेश बनाम राजस्थान सरकार

कस्म मुकदमा –भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 नंबर .....41.... सन...2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रमेशचन्द बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीदार मंडावर की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया कि ग्राम उकरूंद के आराजी खसरा नम्बर 1917/1.39, 1918/0.01, 1923/1.04, 1924/0.45, 1925/0.40, 1926/0.98, 35/0.38, 38/0.86, 42/1.00, 96/1.03, 97/0.92 कुल किता 11 कुल रकबा 8.46 हैक्टेयर भूमि में भौमसिंह पुत्र गिर्राज प्रसाद हिस्सा 1/16 जाति मीना सा.देह दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम वासियों से जानकारी करने पर उन्होने बताया कि भौमसिंह पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति मीना निवासी उकरूंद का शुद्ध व सही नाम रमेशचन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद है। प्रार्थी के उपलब्ध दस्जावेज यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि सभी दस्तावेजों में रमेशचन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति मीना दर्ज है। साथ ही भौमसिंह पुत्र गिर्राज प्रसाद की बजाय रमेशचन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति मीना शुद्ध किया जाने की अभिशंषा की गई।

हमने उभय पक्ष को सुना । पत्रावली एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मुताबिज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम उकरूंद तहसील मंडावर के खाता संख्या नया 112 में प्रार्थी उक्त भूमि में सा.देह खातेदार है। उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम भौमसिह पुत्र गिर्राज प्रसाद दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि में रमेश चन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद दर्ज है। तहसीलदार मंडावर ने भी अपने जवाब में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भौमसिंह के स्थान पर रमेश चन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद दुरस्थ करने की अभिशंषा की है। उक्त त्रुटि क एक लिपिकीय त्रुटि है। धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है ।

अतः राष्टीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहमति के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1917/1.39, 1918/0.01, 1923/1.04, 1924/0.45, 1925/0.40, 1926/0.98, 35/0.38, 38/0.86, 42/1.00, 96/1.03, 97/0.92 कुल किता 11 कुल रकबा 8.46 हैक्टेयर वाके ग्राम उकरूंद, पटवार हल्का उकरूंद तहसील मंडावर जिला दौसा में खातेदार रमेश चन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद के स्थान पर भौमसिंह पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति मीना दुरस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। शेष इन्द्राज जमाबंदी यथावत/बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार मंडावर को आदेश की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत महवा (दौसा)	अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत महवा (दौसा)
न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत महवा(दौसा)	सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत महवा(दौसा)